न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 48/14 निर्णय दिनांकः—04.09.2018

1. मनोहर सिंह पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूँगरगढ़ हाल अम्बेडकर कॉलोनी पुरानी शिवबाड़ी रोड़, बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. इन्दिरा देवी पत्नी लूणाराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूँगरगढ़ हाल अम्बेडकर कॉलोनी पुरानी शिवबाड़ी रोड़, बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20—12—2010
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20—12—2010 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि को रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही ठुकरियासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 850, 851, 852, 859, 1150/859 तादादी 4.59 हेक्टर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप से खरीदशुदा खातेदारी भूमि रही है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03—04—1992 को क्रय की गई थी। जोकि पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 101 क्रम संख्या 430 पृष्ठ संख्या 30 पर पंजीबद्व है। वादगत् भूमि ना तो पुश्तैनी भूमि है ना ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्यगण है। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 के तहत दिनांक 20—12—2010 को दावा प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा उसी दिनांक को अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर ना तो नियमानुसार तनकीयात कायम की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त भूमि दर्ज है। पारिवारिक बंटवारें में उक्त भूमि वादीनी के पांती आई है। लेकिन अब प्रतिवादी संख्या 1 हक त्याग से इंकार कर रहे है। दूसरी तरफ यह भी अभिलिखित किया जा रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा स्वमेव विरोधाभासी कथन अपने निर्णय में अभिलिखित किये गये है।

अदालत मातहत द्वारा वादीगण/रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचाने मात्र से कायम करते हुए एकतरफा तौर पर निर्णित की गई है। जबकि अदालत मातहत को चाहिए था कि उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में वाद की प्रक्रिया को अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाता। अदालत मातहत द्वारा तमाम प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए तानाशाही निर्णय पारित करते हुए वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार धोषित किया गया है। जिसका कतई अधिकार अदालत

मातहत को प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व बिना नोटिस दिये पारित किया गया है ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। किन्तु व उपस्थित नहीं आये। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 22—06—2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत करने की स्थिति में आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के अनुसरण में आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20—12—2010 के विरुद्व अपील दिनांक 07—04—2014 को पेश की। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। जिसके खण्डन में राजकीय अभिभाषक ने अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का कथन किया है। चूंकि अपील में मेरिट के तथ्य है इसलिए मियांद पर उदार रुख रखते हुए अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत द्वारा उक्त दावा एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री किया गया।

(3) मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि वाके रोही ठुकरियासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 850, 851, 852, 859, 1150/859 तादादी 4.59 हेक्टर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप से खरीदशुदा खातेदारी भूमि रही है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03—04—1992 को क्रय की गई थी। जोकि पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 101 क्रम संख्या 430 पृष्ठ संख्या 30 पर पंजीबद्व है। वादगत् भूमि ना तो पुश्तैनी भूमि है ना ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्यगण है। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(4) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि एक संयुक्त रूप से खरीदशुदा भूमि है। जिसका हकत्याग नहीं हो सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर संयुक्त खाते की भूमि को एक पक्ष के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है।

(5) अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य मौजूद होते हुए भी बिना रिकार्ड के अवलोकन किये दावे जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण जहॉ पक्षकारों के मध्य अधिकार तय होने होते है, बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर अपीलांट के हक व हकूकों को समाप्त करते हुए वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पुष्टि

किया जाना न्याय की दृष्टि से युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।

(6) प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक खरीदशुदा भूमि है ना की पैतृक सम्पति है। ऐसी स्थिति में खरीदशुदा भूमि का हक त्याग नियमानुसार व विधि अनुसार नहीं हो सकता है। किसी पक्षकार द्वारा ऐसी भूमि का हकत्याग किया भी जाता है तो ऐसी स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी व राजस्व हानी होती है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो स्पष्ट रूप से कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

(7) अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए विधि विरूद्व तरीके से एक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि एक पक्ष के नाम करने के आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। अदालत मातहत का उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। जिसे इस स्तर पर कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है ना ही किसी पीठासीन अधिकारी से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि वह वाद की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए व न्याय के प्रावधानों के विपरीत जाकर जहॉ पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चत किया जाना हो, उक्त प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित करें।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि संयुक्त रूप से खरीदशुदा भूमि रही है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद पत्र पर अन्य पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके अधिकारों को समाप्त करते हुए एक पक्षकार को तमाम भूमि के अधिकार प्रदान किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 20–12–2010 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर